प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : सन 2021
अनवान :–

1. निराणी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भंवरी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 23/11/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 147/138 के खसरा न0 247/1 की 1.2650हैक भूमि वादीया के नाम एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 38/30 की कुल 247/2 की 2.2260हैक भूमि में से 961/4452 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 3491/4452 हिस्सा भूमि वादीया के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वादीया एवं प्रतिवादी सख्या 1 एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया था जिसमें रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 147/138 के खसरा न0 247/1 की 1.2650हैक भूमि वादीया को तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 38/30 के खसरा न0 247/2 की 2.2260हैक के मिन उत्तर की 0.4805हैक भूमि वादीया को प्राप्त हुई तथा खसरा न0 247/2 की मिन दक्षिण की 1.7455हैक भूमि वादीया को प्राप्त हुई है इसी प्रकार भूमि काश्त करती आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 147/138 के खसरा न0 247/1 की 1.2650हैक भूमि वादीया के नाम एवं रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 38/30 की कुल 247/2 की 2.2260हैक भूमि में से 961/4452 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 3491/4452 हिस्सा भूमि वादीया के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 147/138 के खसरा न0 247/1 की 1.2650हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया के नाम दर्ज की जाती है व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 38/30 के खसरा न0 247/2 की 2.2260हैक के मिन उत्तर की 0.4805हैक भूमि वादीया के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 247/2 की मिन दक्षिण की 1.7455हैक भूमि प्रवितादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)।
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. निराणी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भंवरी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2021 निर्णय दिनांक– 23/11/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 147/138 के खसरा न0 247/1 की 1.2650हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया के नाम दर्ज की जाती है व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 38/30 के खसरा न0 247/2 की 2.2260हैक के मिन उत्तर की 0.4805हैक भूमि वादीया के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 247/2 की मिन दक्षिण की 1.7455हैक भूमि प्रवितादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/11/2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....